



ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी एवं व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन (मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विकासखण्ड भीकनगांव के विशेष संदर्भ में)

शोध निर्देशक
डॉ दीपक गग्ठा
शोधार्थी
कपिल कुमार मेहता
नामांकन नं. AU201060

प्रस्तावना:—(Introduction)

स्वयं सहायता समूह का उददेश्य ग्रामीण निर्धनों की ऋण की जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक ऋण नीतियों बनाना है इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत तथा ऋण के लिए सहयोग करना। समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था बढ़ाना है। गाँव में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भी अधिक आबादी का प्रमुख आधार कृषि है ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएँ हैं। खेती के अतिरिक्त अन्य आय के साधन इनके पास नहीं होते हैं, खेती में पॉच से छः माह काम मिलता है इसलिए बचे समय में आय के लिए महिलाओं को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन एवं गहनों को भी गिरवी रखना पड़ता है और परिस्थिति से मजबुर होकर इसे छुड़ा भी नहीं पाते इसी बीच यदि अन्य समस्याएँ जैसे—बीमारी, मृत्यु, पर्व, विवाह आदि आ जाये तो समस्याएँ और बड़ा जाती है। इस संकट उभरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो संभवतः कुछ नहीं कर सकता है। परन्तु समूह की 10 महिलाएँ मिलकर छोटी आय से थोड़ी—थोड़ी बचत कर बड़ी पूँजी जमा कर सकती हैं और इसका उपयोग अपने गहनों एवं जमीन को छुड़ाने के लिए भी कर सकती हैं। इस प्रकार से समूह की महिलाएँ स्वयं का, अपने समूह का, एवं गाँव का विकास कर सकती हैं।



किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। महिला की आय परिवार में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि और शिक्षा आदि, कृषि में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना एवं उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। ग्रामीण महिला एक अवैतनिक की तरह समझी जाती रही है। जिसकी मेहनत और काम को आर्थिक नजरिए से कभी नहीं देखा गया। अतः उनकी अर्थोपार्जन की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है।

इन योजनाओं के द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार तथा स्वप्रयास, गाँवों में कुटीर उद्योग के अवसर बढ़े हुये दिखाई देते हैं। जिससे महिलाओं सरकारी वैसाखियों के सहारे चलने के स्थान पर अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए अग्रसर हो रही हैं। किन्तु महिलाओं में आर्थिक स्वावलम्बन खासकर ग्रामीण महिलाओं में आज भी

चुनौतिपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति नियोजनकर्ताओं, शिक्षाविदों, समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय रहा है।

प्रेरणा

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक आर्थिक विकास स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रिस्तेदारों के आर्थिक आत्मनिर्णय के लिए छोटा स्वैच्छिक संगठन है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण का एक साधन है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक व्यवहार्य उपकरण है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्रामीण विकास के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को जानना।
2. ग्रामीण विकास अंतर्गत महिला लाभार्थियों के लाभ की वर्तमान आर्थिक और परिस्थितिक स्थिति का आंकलन एवं उनकी पूर्व की स्थिति को जानना।
3. ग्रामीण विकास के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन पर हुए सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को जानना।
4. ग्रामीण विकासके अंतर्गत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता तथा सशक्तिकरण में आ रही कठिनाइयों को जानना।
5. ग्रामीण विकासकी गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन का अन्वेषण क्षेत्र

मध्य प्रदेश का खरगोन जिला प्रदेश के इंदौर संभाग का एक मुख्य जिला है। यह निमाड क्षेत्र में आता है। खरगोन जिला मध्यप्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 21 अंश 22 मिनिट – 22 अंश 35 मिनिट (उत्तर) अक्षांश से 74 अंश 25 मिनिट – 76 अंश 14 मिनिट (पूर्व) देशांश के बीच यह जिला फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8030 वर्ग किमी है। खरगोन जिले में मुख्यतः आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। जिसमें मुख्य रूप से जिले में भील और भिलाला जाति के लोग निवास करते हैं। यह प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 5 अनुभाग, 10 तहसील, 9 जनपद पंचायत (विकास खंड) में बांटा गया है। यह जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। जिसमें 600 ग्राम पंचायते, 3 नगर पालिकाएँ 4 नगर पंचायते हैं, 7 कृषि उपज मंडी है।

अनुसंधान समस्या

आज भी ग्रामीण तथा आदिवासी अंचल की महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक सामाजिक एवं पारिवारिक सुरक्षा से वंचित हैं। असमानता, भेदभाव, पुरुष मानसिकता एवं वर्चस्व और परंपरागत समाज की लढ़िवादिता से दबी होने के कारण वह अपने स्वयं का विकास नहीं कर पा रही है। अतः महिलाओं विशेष रूप से गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा से वंचित महिलाओं को अपनी मुलभूत आवश्यकता तथा रोजगार के अवसर एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु स्वसहायता समूहों की संकल्पना उभर कर आयी। इन समूहों को शासकीय योजनाओं के साथ जोड़कर उनका सशक्तिकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम सकारात्मक तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रक्रियात्मक, क्रियान्वयन स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में अभी भी खामीयों हैं जिस कारण शासकीय योजनाओं और स्वसहायता समूहों के उद्योगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण और व्यावसायिक गतिशीलता प्रभावित हो रही है।

साहित्य की समीक्षा

1. **सी.एम. चौधरी (1991)** ग्रामिण विकास एक अध्ययन के अनुसार ग्रामिण क्षेत्रों में महिलाओं को निर्बल व असहाय शोषित माना जाता है। लेकिन आज इस सोच में परिवर्तन आया है और महिलाएं पंचायतों के माध्यम से एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामिण विकास में अपना योगदान दे रही हैं एवं ग्रामिण विकास हो रहा है।
2. **सिंह सीमा (2001)**— एस.ए.डब्ल्यू.ई.आर.ए. का अर्थ ग्रामीण उपयोग के माध्यम से रथागी कृषि और महिला सशक्तिकरण द्वारा विषय पर कार्यरत अपने कार्यक्रम को यही नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की राहायता से उत्तरप्रदेश में चल रहे हैं।
3. **वर्मा आर.के. (2003)** कुरुक्षेत्र के अनुसार ग्रामीण महिला नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं के राजनेत्रिक नेतृत्व को जनता के विचारों के प्रभाव, राजनेत्रिकसामाजिकरण की प्रक्रिया, राजनेत्रिकरण एवं विकास के संदर्भ विश्लेषित किया गया है।
4. **कुमार नीरज (मार्च 2007)**— सरकारी कार्यक्रमों में जिस तरह महिला के कल्याण की बात की जा रही थी, वहीं वर्तमान में कल्याणोन्मुखी योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जा रही है।
5. **Prasanthi P. and Padmaj (October 2010)** स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है तथा शिक्षा की ओर महिलाएं अग्रसर हुई हैं। समूह के द्वारा केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अपितु राजनीतिक सामाजिक व वैद्यानिक सशक्तिकरण भी हुआ है।
6. **Yadwadhkar Amita (January 2010)**— सामुदायिक गतिविधियों में सदस्यों की क्रियाशील सहभागिता पर स्व सहायता समूह कार्यक्रम का प्रभाव पड़ा है। समूह का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है यह कार्यक्रम गांवों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक सशक्तिकरण पर आधारित है।

अध्ययन का समग्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु खरगोन जिले की 10 तहसील में से आदिवासी बाहुल्य तहसील भीकनगांव को अध्ययन क्षेत्र स्वरूप चयनित किया गया। भीकनगांव तहसील की स्वसहायता समूहों की महिला सदस्यों को अध्ययन का समग्र माना गया है।

निर्दर्शन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण विधि को अपनाया गया, जो निम्नानुसार है:—

मध्यप्रदेश के कुल जिलों में से ग्रामीण विकास अंतर्गत, जिले में आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या, स्वसहायता समूहों की महिलाओं की ग्रामीण विकास में भागीदारी, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उद्देश्यपूर्ण विधि के माध्यम से खरगोन जिले का चयन किया गया है।

रोजगार, के अभाव के कारण आदिवासी परिवारों में जीविकोपार्जन हेतु अन्य राज्य तथा शहरों में पलायन (माइग्रेशन) करने की घटनाएं अधिक मात्रा में थीं। अतः इन स्थितियों को ध्यान में रखकर उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा खरगोन जिले की 10 तहसील भीकनगांव को अध्ययन क्षेत्र स्वरूप चयनित किया गया।

भीकनगांव तहसील की कुल 65 ग्राम पंचायतों में से अध्ययन हेतु 04 ग्राम पंचायत क्रमसः 1. भातलपुरा, 2. बंझर, 3. कांजर, 4. चिरागपुरा का चयन किया गया। इन 04 ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक क्रियाशील स्वयंसहायता समूह है।

स्वसहायता समूहों का चयन का मुख्य आधार सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह का गठन एवं सर्वाधिक आयमूलक गतिविधियों का संचालन इन ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है।

अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों में से 05 स्वसहायता समूह प्रति गांवअतः कुल 20 स्व सहायता समूहों का उद्देश्यपूर्ण विधि के माध्यम से चयन किया गया।

चयनित कुल 20 स्वसहायता समूहों के साथ जुड़ी महिला सदस्यों में से प्रत्येक समूह से 10 महिला सदस्यों का चयन कर कुल 200 महिला सदस्यों का अध्ययन किया गया।

अध्ययन की इकाई

अध्ययन की इकाई ग्रामीण विकास से जुड़ी स्व-सहायता समूह की भीकनगांव तहसील के 4 गांवों की स्वयं-सहायता समूह की महिला सदस्य को अध्ययन की इकाई माना गया है।

तथ्यों संकलन

अध्ययन हेतु रचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण कर चयनित कुल 200 महिला सदस्यों से तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक स्त्रोत के रूप में अपनाया गया इसके साथ प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अवलोकन समूह चर्चा तथा उच्च अधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ चर्चा कर तथ्यों का संकलन किया गया।

द्वितीयक तथ्यों के संकलन शासकीय अभिलेख प्रतिवेदन, संदर्भ ग्रंथ, शोध पत्र-पत्रिकाएं, आदि के माध्यम से किय गया है।

साक्षात्कार अनुसूची

प्राथमिक समंकों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया, साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विस्तृत रूप में तैयार किया गया। तथा शोधकर्ता ने क्षेत्र में जाकर व्यक्तियों से प्रत्यक्ष विधि तथा उनका व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया एवं आमने-सामने वार्तालाप करके उनसे विषय संबंधी जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कर तथ्य एकत्रित किए तथा अनुसूची को छःभागों में बांटा गया है।

निष्कर्ष एवं सूझाव

ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करने और स्थायी बुनियादी ढांचे, सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा में निवेश करने का आहवान करती है जो उनकी आजीविका, कल्याण और लचीलेपन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। लैंगिक समानता और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सतत बुनियादी ढांचे, सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आयेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सहाय सुषमा महिला एवं विकास बानिज महू सन 1990
2. सी एम चौधरी ग्रामीण विकास एक अध्ययन सन् 1991
3. शुक्ला रविन्द्र जल ग्रहण क्षेत्र विकास और शिक्षा ग्यारंटी की बहती धाराएं सन् 1999
4. स्याल शांति कुमार :2000: नारी मुक्त संग्राम, आत्माराम एण्ड सन्स कश्मीरी गेट, दिल्ली-100006
5. सिंह सीमा :सितम्बर 2001: योजना, 538, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
6. प्रकाश, ज्ञान, गुप्ता कमला :2001: डॉ. आब्रे सा.वि.शोध पत्रिका
7. सिन्हा लोकेश्वर प्रसान :2002:- महिला सशक्तिकरण और दलित महिला डॉ.अम्बेडकर सा.वि.
8. वर्मा आरके. कुरुक्षेत्र पत्रिका ग्रामीण महिला नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं के राजनैतिक नेतृत्व वर्ष 2003
9. के.के. पाण्डे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सीहभागीता सन् 2003
10. जैकिमो और किल्बी, भेदभाव संघर्ष और प्रतिरोध का प्रभाव 2006।
11. कुमार, नीरज :मार्च 2007 कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, 'ए विंग गेट नं.5 निर्माण भवन ग्रमीण वि. मंत्रालय, नई दिल्ली 410001
12. Priyam Krishna (2008) New dimension of women Empowerment, Women power thoruh self help. Group Deep and Deep publication, New Delhi.
13. व्यास जयनारायण नवम्बर :2009: कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका; 'ए विंग गेट नं. 5 निर्माण भवन ग्रामीण वि. मंत्रालय; नई दिल्ली 110001
14. शेरावत पूजा स्टडी ऑफ एसटी उमन्स पार्टीसिपेशन इन रुरल इम्प्लायमेंट (ब्लाक धार) बानिस महू सन 2009-10

-
- 15. Prasanthi p.and Padma (Octomber2010) SGSH and women Empowerment :the Indien journal of Social work, vol,71,Tata Institute of Social Sciences Mumbai
 - 16. अल्किरे एट अल, कृषि सूचिकांक में महिला सशक्तिकरण आइएफपीआरआई चर्चा पत्र 01240, 2012
 - 17. नागेशा. बी— ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता की भूमिका का एक अध्ययन फरवरी, 2020।
 - 18. डुल्हन्टी, भारत में समाज और राजनिति तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में निबंध, 2020
 - 19. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2022